संख्या– 1984 / II(2) / 2021–17(06) / 2015

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता / प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0डी0सी0सी0,सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण अनुभाग–02 देहरादून : दिनांक 21 सितम्बर, 2021

विषयः **जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना से सम्बन्धित एडीबी द्वारा किये गये प्रेक्षणों एवं विविध कार्यों के सापेक्ष प्राक्कलन की टी0ए0सी0 एवं व्यय वित्त समिति से स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4450 / यू0पी0डी0सी0सी0 / जमरानी दिनांक 14.01.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना से सम्बन्धित एडीबी द्वारा किये गये प्रेक्षणों एवं विविध कार्यों के सापेक्ष प्राक्कलन की टी0ए0सी0 एवं व्यय वित्त समिति द्वारा संस्तुत परियोजना की लागत रू0 621.03 लाख में से 47.35 लाख जो कि पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है को घटाते हुए शेष धनराशि रू0 573.68 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए 40 प्रतिशत अर्थात रू0 229.47 लाख (रू0 दो करोड़ उन्तीस लाख सैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय, अनुरक्षण एवं पुनर्निमाण के कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण का विशेष ध्यान रखा जाय।

(ii) सामग्री एवं उपकरण क्रय हेतु ई–प्रोक्योरमेण्ट एवं जैम पोर्टल / पारदर्शी एवं खुली निविदा के माध्यम से वित्तीय नियमों के अनुसार अधिप्राप्ति नियमावली–2017(समय–समय पर यथा संशोधित) का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) योजना कार्यों पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(iv) निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी,स्टोन, पाइप, सीमेण्ट एवं अन्य का I.S. Code के मानकों के अनुरूप N.A.B.L Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्यक सुनिश्चित की जाय।

(v) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य के समस्त Design and Drawing सक्षम स्तर से अनुमोदित कराया जाय।

(vi) आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु एस0ओ0आर0 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित है। विशिष्टियों तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आगणन में समावेश करेंगें जो अपरिहार्य मदें है।

क्रमशः 2

(vii) मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगें तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अवगत करायेंगे।

2-- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021--22 में अनुदान संख्या--20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्य--80 सामान्य--001-निदेशन तथा प्रशासन--04 जमरानी बांध परियोजना हेतु एन.पी.बी./भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि 4700010510202 से स्थानान्तरित-- 00--53-- बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3-- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-- 587/XXVII(2)/2021, दिनांकः 10 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक--Allotment ID.

भवदीय,

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

संख्या--1488(1)/ II(2)/2021--17(06)/2015,तददिनांकित।

प्रतिलिपि-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-- महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी--1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2-- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, देहरादून।
3-- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4-- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
5-- महाप्रबन्धक, जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना, यू0पी0डी0सी0सी0 सिंचाई विभाग,उत्तराखण्ड।
6-- वित्त अनुभाग--2, उत्तराखण्ड शासन।
7-- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव।